हो गया था। वाहन को फिट किया गया एवं अपने गंतव्य की ओर रवाना किया गया, जिसे अतिरिक्त समय लग गया। स्टोन–चिप्स के परिवहन में कोई अवैधता नही की गयी है। विपक्षी एवं चालक को विद्वान सत्र न्यायाधीश, गोड्डा के ए0बी0पी0 केश नं0–413/2023 के द्वारा अग्रिम जमानत दे दी गयी है और चूँकि विपक्षी को जप्त वाहन व्यावसायिक वाहन है एवं विपक्षी को भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए जप्त वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय।

सरकारी वकील का कथन है कि स्टोन–चिप्स परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध रूप से स्टोन–चिप्स प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है एवं जप्त कर महागामा थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का जप्त 1. वाहन निबंधन संख्या–NL01AC-7103 एवं 2. वाहन निबंधन संख्या–WB23C-0948 परिवर्तित निबंधन संख्या–BR10GC-4293 को गिट्टी (स्टोन चिप्स) चोरी कर परिवहन करने में पकड़े जाने पर जप्त किया गया है। जप्ती के समय विपक्षीगण के द्वारा वाहन पर लदे गिट्टी (स्टोन चिप्स) के संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन के द्वारा अवैध ढंग से स्टोन–चिप्स का परिवहन किया जा रहा था। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि एवं पूर्व में संलिप्तता के आलोक में अतिरिक्त दण्ड के राशि, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वाहन संख्या	पूर्व में अवैध परिवहन में संलिप्तता की संख्या	खनिज एवं खनिज की मात्रा (CFT)	खनिज का मुल्य	खनिज का दुगुनी राशि	संलिप्पता के आधार पर अतिरिक्त दण्ड की राशि	कुल दण्ड की राशि
NL01AC-7103	2 -	750	25650.00	51300.00	100000.00	151300.00
WB23C-0948	0	700	23940.00	47880.00	00	47880.00

एवं दो–दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक–एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त 1. वाहन निबंधन संख्या–NL01AC-7103 एवं 2. वाहन

निबंधन संख्या–WB23C-0948 परिवर्तित निबंधन संख्या–BR10GC-4293, को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि जुर्माना की उपरोक्त राशि, उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं दो–दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक–एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उस पर लदे गिट्टी (स्टोन चिप्स) को विमुक्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी संबंधित को देंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

08/09/23

उपायुक्त,
गोड्डा।

08/09/23

उपायुक्त,
गोड्डा।

समाहरणालय, गोड्डा
जिला विधि शाखा, गोड्डा

ज्ञा० सं०:– 168

दि:– 19.10.23

प्रतिलिपि:– जिला खनन पदा०, गोड्डा / पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/10/23

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा
गोड्डा

19.10.23

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.12.05 12:42:08 +05:30
Location: 192.168.1.37